न्यायालय असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी,मोहनलालगंज,लखनऊ।

वाद संख्या–284/12–13
दर्शन आदि बनाम सरकार
धारा– 143 ज0वि0अधि0
ग्राम –बेली

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दर्शन पुत्र घुरू व श्रीमती रामरानी पत्नी दर्शन नि0गण– बेलीखुर्द परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमे अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या– 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ पर खेती नही हो रही है । प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर कुक्कुट पालन,मत्स्य पालन,बागवानी के उपयोग मे नही लाई जा रही है बल्कि अन्य उपयोगिता मे लाई जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि गाटा संख्या– 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या दिनांक 29.08.2013 में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है मौके पर प्लाटिंग हो रही है। भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत नोटिफाइड ग्राम की है किन्तु अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नही है। उक्त गाटा संख्या का रकबा सरकारी भूमि नही है। सीमा सम्बन्धी विवाद नही है। भूमि का कोई वाद नही है। आख्या मे प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या– 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई।

वाद दर्ज कर नियमानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ को नोटिस जारी की गई जो कि सम्यक रूप से तामील होकर प्राप्त हुई। कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्राप्त आख्या मे अवगत कराया गया कि प्रश्नगत उल्लिखित गाटा संख्या संकमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है। उक्त गाटा संख्या के प्रश्नगत भाग पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा प्लाटिग हो रही है। अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आख्या के आधार पर प्रार्थीगण के नाम भूमि गाटा संख्या– 263/0.047,270मि/0.169हे0 व 273/0.051हे0स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज,लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है परन्तु भू उपयोगिता की विधिमान्यता के सम्बन्ध मे लखनऊ महायोजना 2021 के उपबन्ध प्रभावी होगे जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण व शहरी नियोजन विभाग से है।